

एक नजर में



शहीद आशीष शर्मा को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि बालाघाट। 19 नवंबर को उच्च विद्यालय खेल मैदान बालाघाट में आयोजित स्वेदेशी मेले में मध्यप्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी उपस्थित हुए। यहाँ पर उन्हें हाल ही में हुई नक्सली मुठभेड़ में हॉक फ़ोर्स के जवान आशीष शर्मा के शहीद होने की खबर प्राप्त हुई। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर, अन्य जनप्रतिनिधियों, जिला अधिकारियों एवं मेले में उपस्थित समस्त जनों ने शहीद आशीष शर्मा की शहादत पर 02 मिनट का मौन धारण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

शराब समेत

तस्कर पकड़ाया जबलपुर। रांछी पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त तस्कर को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई। टीआई उमेश कुमार गोल्हानी ने बताया कि मरघटाई के पास बिलपुरा रांछी के पास शराब बेचने के लिये कच्चे गौह सिंह रावत पिता स्व.दिलीप सिंह रावत 25 वर्ष निवासी सुभाषनगर झंडा चौक आयुष का बाड़ा रांछी को घेराबंदी कर पकड़ा गया जबकि आकाश मोटा निवासी कश्यप मोहल्ला सुभाषनगर रांछी भाग गया। पकड़े गए आरोपी के पास प्लास्टिक के 15-15 लीटर वाले 4 क्युपा में अवैध देशी शराब भरी मिली, उक्त शराब के संबंध में पूछताछ करने पर वह आकाश मोटा के पास 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी करता है आकाश मोटा उसे कच्ची शराब बेचने के लिये दिया था।

कुएं में डूबने से युवक की मौत जबलपुर। बरगी थाना सिमरिया घाट के पास खेत में बने कुएं में डूबने से युवक की मौत हो गई। मूलक ने आत्महत्या की है या वह हादसे का शिकार हुआ इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को बिनोद कुमार चड्ढार 40 वर्ष निवासी घाट घाट सिमरिया से सूचना दी कि भैयाजी यादव 40 वर्ष निवासी घाट सिमरिया अपने खेत के कुएं में डूब कर खत्म हो गया है। शव पानी में उतराने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाते हुए मर्ग कायम कर जांच में लिया गया।

चोरी करने घुसा चोर पहली मंजिल से गिरकर घायल

जबलपुर। गोहलपुर थाना अंतर्गत शांति नगर में एक घर में चोरी के इरादे से घुसा चोर चबराहार में पहली मंजिला गिरकर घायल हो गया। सूचना पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शांति नगर निवासी अल्का जैन रहती है जो सपरिवार घर में ताला लगाकर बाहर गई थी। बीती रात साढ़े दस बजे अल्का के घर में मिलीनीगंज निवासी गोपीचंद धुवें चोरी के इरादे से पहुंचा इस दौरान पड़ोसियों की नजर उस पर पड़ गई थी जिन्होंने आवाज लगाई तो गोपीचंद चबरा गया और भागते समय गिर गया था।

चक्काजाम

एचसीएल पर 7 दिन तक मोत की जानकारी नहीं देने का आरोप

मंगलेश का शव रखकर चक्काजाम

नवभारत, बालाघाट। मलाजखंड ताम्र परियोजना में 11 नवंबर को बस हादसे में घायल हुए मजदूर मंगलेश यादव की मौत तीन दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन परिजनों को इसकी जानकारी 19 नवंबर को दी गई। मौत की सूचना दबाने के आरोपों से आक्रोशित ग्रामीणों ने परियोजना के मुख्य द्वार पर 20 घंटे तक चक्काजाम कर दिया। बस ब्रेक फेल होने के बाद 500-700 मीटर घिसटकर पलट गई थी, जिससे 27 मजदूर घायल हुए थे। गंभीर रूप से घायल दोनों मजदूरों की मौत परिजनों से छिपाने का आरोप प्रबंधन पर लगा है।

मौत की खबर भौड़ी और आसपास के गांवों में पहुंचते ही ग्रामीण दोपहर 3 बजे से ही परियोजना द्वार पर जमा होने लगे। शाम को रायपुर से मंगलेश का शव पहुंचते ही विरोध और बढ़ गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को गेट पर रखकर चक्काजाम किया।

इस दौरान खान में काम करने वाले



मजदूरों ने बताया कि 1.5 किमी नीचे तक कोई सुविधा नहीं, पीने का पानी नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स तक मौजूद नहीं है। मजदूरों ने यह भी कहा कि दुर्घटना वाली बस भी सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती थी और प्रबंधन ने हल्वट टीम की जांच पूरी होने तक मौत की सूचना छिपाई।

स्थिति बिगड़ने पर एसडीएम अर्पित गुप्ता और एसडीओपी अरविंद शहाह पहुंचे और तीन दौर की वार्ता हुई, लेकिन तीनों वार्ताएँ विफल रहीं। कड़ुके की ठंड में भी जनप्रतिनिधि ग्रामीणों संग पूरी रात

सड़क पर डटे रहे।

आंदोलन को मजबूती मिली समाजसेवी रामेश्वर कटरे के नेतृत्व और जिला पंचायत सदस्य दलसिंह पट्टे उपस्थिति से। गौरतलब हो कि श्री कटरे पहले भी कई मामलों में पीड़ितों को न्याय दिला चुके हैं जैसे परसवाड़ा लिंगा का करंट हादसा, बैहर आमगांव का हत्या मामला, बम्हनी बंजर में पीड़ित को न्याय दिलाया गया और इस पूरे आंदोलन में भी रातभर वे मौजूद रहे। वहीं, जिला पंचायत सदस्य दलसिंह पट्टे ने कहा कि 'परसवाड़ा



क्षेत्र के मृतक युवक व उसके परिवार को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास किया गया है। ' सुबह करीब 4 बजे प्रशासन ने जाम खुलवाकर यातायात शुरू करवाया, लेकिन ग्रामीण सुबह 10 बजे तक शव को गेट पर रखकर प्रदर्शन करते रहे।

लगातार दबाव के बाद प्रबंधन ने लिखित आश्वासन दिया— बीमा की राशि सहित 60 लाख रुपये का मुआवजा, पत्नी को नौकरी, पेंशन, दोनों बच्चों—एक अजन्मा सहित—को उच्च शिक्षा, और लापरवाही के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई।

जिले में अवैध घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग पर

बड़ी कार्रवाई, 13 प्रतिष्ठानों से 23 सिलेंडर जब्त

नवभारत, बालाघाट। कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देश पर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार, 19 नवंबर 2025 को खाद्य विभाग द्वारा तहसील किरनापुर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर संयुक्त टीम के साथ दबिश दी गई। टीम ने कुल 13 प्रतिष्ठानों से 23 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए।

खाद्य विभाग के जिला आयुक्त श्री आर के ठाकुर ने बताया कि कनिष्ठ आयुर्त्त अधिकारी श्री पहल सिंह वलाड़ी, श्री आकाश श्रीवास्तव एवं श्री मिलन तिवारी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में तहसीलदार

किरनापुर/हिर्री के सहयोग से होटल, रेस्टोरेंट और चाय-नाश्ते के ठेकों पर घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो एक्ट एवं गैस नियंत्रण आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

जांच के दौरान जिन प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त किए गए उनमें बाके बिहारी फूड कोर्ट, तरुण होटल, चैन की चाय, किंग राहुल साउथ इंडियन फास्ट फूड, सेवक होटल, बाबा होटल, बम्बूर

होटल, माँ शारदा होटल, जे.पी. भोजनालय, खुशवा होटल, ओम्पो कैफे, मुगलई चिकन बिरयानी सहित अन्य शामिल हैं। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर आगे कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान में खाद्य विभाग की टीम, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस विभाग का संयुक्त सहयोग रहा। प्रशासन ने व्यापारी वर्ग से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

सीनियर बालक छात्रावास उकवा में इस्पेक्टर आशीष को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि

नवभारत, परसवाड़ा। ऐसे वीर सपूत सदियों बाद किसी देवी को कोख से जन्म लेते हैं। नमन है उस माँ को जो कल तक शाम को बेटे से बात करती रही होगी कि एक माह बाद शादी में क्या करेंगे, बहू का स्वागत ऐसे करेंगे और आज रो रही होंगी।

कहीं सुना था कि वीर लोग कम जीते हैं लेकिन जब तक जीते हैं तो शान से जीते हैं और जिस दिन जाते हैं सबको रुला जाते हैं। ये जो पुलिस अधिकारी थे जिनके एनकाउंटर मॉडल के रूप में पढ़ाए जाते हैं।

देश के दुश्मनों से लड़ने वाले को आज पहली बार मौत से लड़ते हुए देखा जो गोली लगने से बाद भी बहादुरी से लड़ते हुए दौड़ रहे थे। जब कभी बालाघाट के जंगल



में गोली की आवाज आई तो यही चर्चा होती थी कि आशीष शर्मा जी की टीम ने नक्सलियों को भूल चटाई होगी। मन व्यथित है और बहुत ज्यादा दुखी है कि हमारी मध्यप्रदेश पुलिस का हीरा हीरो और माओवादियों को जीरो करने वाले इस्पेक्टर आशीष शर्मा जी जैसे लीडर को शहादत देनी पड़ी।

पुलिस की वही में तीन स्टार

रहकर शासन करना उनसे हमने सीखा है। आज नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से हमारा शरीर इस दुनिया में नहीं रहा। शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे... हमारे भाई आशीष शर्मा को सादर नमन श्रद्धांजलि

इस्पेक्टर आशीष शर्मा अमर रहे। जिसमें जिसमें उकवा चौकी प्रभारी आकाश शर्मा, सर्व धर्म सेवा समिति अध्यक्ष जेम्स बारीक सचिव नितिन कुमार अधीक्षक रामलाल पटेल, लोकेश देशमुख सजना बर्वे, गणेश बारेकर, समाज सेवा सदीप गजभिये राकेश सजल अमन गौतम, दीपा मेथिया सुप्रज पारते, इसु ठाकरे, बाबूलाल धुवें एवं आसपास ग्राम के नगरिक एवं सभी बच्चे उपस्थित रहे।

ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश

बालाघाट। कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में 20 नवंबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में संयुक्त कलेक्टर एवं शहरी विकास अधिकरण के परियोजना अधिकारी राहुल नायक व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री मीना ने बैहर, कालंगा, वारासिवनी व अन्य नगर पालिका अधिकारियों को गीता भवन की स्थापना का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी निकायों के सीएमओ से कहा कि वे सभी रुचि लेकर इसकी स्थापना को शीघ्रता से करवाये ताकि आम जन को इसका लाभ मिल सके।

6 आयुर्वेदिक आषाधियों के प्रदेश में क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध

गिलोय सत्व, कामदुधा रस, प्रवाल पिष्टी, मुक्त श्रुक्ति, कफ कुठार रस एवं लक्ष्मी विलास रस का नहीं होगा प्रदेश में कहीं भी क्रय विक्रय

नवभारत, बालाघाट। प्रदेश में 06 आयुर्वेदिक आषाधियों गिलोय सत्व, कामदुधा रस, प्रवाल पिष्टी, मुक्त श्रुक्ति, कफ कुठार रस एवं लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) के क्रय विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिला आयुष अधिकारी डॉ. मिलिंद चौधरी ने बताया कि शर्मायु जेन्युन आयुर्वेद श्री शर्मा आयुर्वेद सिविल लाइन



दतिया निर्माण शाला के बैच न. 005-क्ला की औषधि गिलोय सत्व एवं बैच न. 25117002 क-1 की कामदुधा रस, श्री धनवंतरी हर्बल्ला विलेज किशनपुरा पीओ गरुमाजरा 174101 तहसील बंदी जिला सोलन (एचपी) के बैच न. पीपीएमबी-077 की प्रवाल पिष्टी एवं बैच न. एमएसबीडी-059 की मुक्त श्रुक्ति, डाबर इंडिया लिमिटेड 22 साइट 04 साहिबाबाद उत्तरप्रदेश के बैच न. एसबी0066 की कफ कुठार

रस एवं बैच न. एसबी0065 की औषधी लक्ष्मी विलास रस का औषधीय निरीक्षक छिंदवाड़ा द्वारा आयुर्वेद औषधियों के निरीक्षण के नमूने लेकर परीक्षण के लिए शासकीय औषधीय परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजे गए थे। जिला आयुष अधिकारी श्री चौधरी ने बताया कि परीक्षण में सभी नमूने अमानक पाए गए हैं। जिसके पश्चात सम्पूर्ण जिले में इन आषाधियों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिला आयुष अधिकारी श्री चौधरी ने समस्त औषधी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उक्त बैच की आषाधियों को संबंधित कंपनियों को वापस कर 03 दिवस के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट जिला आयुष कार्यालय को प्रस्तुत करें।

धान खरीदी

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 185 केंद्र निर्धारित

1 दिसंबर से 20 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर होगी धान की खरीदी

गोदाम स्तर पर 68 और समिति स्तर पर 117 केंद्र बनाए गए

नवभारत, बालाघाट। किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने तथा उन्हें दलालों व बीचौलियों के शोषण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कलेक्टर श्री मृणाल मीना द्वारा 185 खरीदी केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। इनमें से 68 केंद्र गोदाम स्तर पर और 117 केंद्र समिति स्तर पर खोले जाएंगे। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 2369 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 01 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होगी और 20 जनवरी 2026 तक चलेगी।

जिला आयुर्त्त अधिकारी श्री आर के ठाकुर ने बताया कि कटंगी तहसील के अंतर्गत बनेगा, कटला का केंद्र चिकमारा कैप,

जराहमोहगांव व जाम का केंद्र नंदलेसरा गोदाम, कटंगी का केंद्र कृषि उपज मंडी कटंगी, कटंगी-2, मानेगांव, मानेगांव -2, खैरलांजी, का केंद्र चिकमारा कैप, अतरी-सावंगी व आगरवाड़ा का केंद्र नंदलेसरा गोदाम, कटंगी-बिसापुर का केंद्र मार्केटिंग गोदाम कटंगी, किरनापुर तहसील में रजेगांव का केंद्र श्री हरि एगो गोदाम रजेगांव, खारा का केंद्र साईं कृपा वेयर हाउस नेवरगांव, बिनोरा, बड़गांव, मोरवाही, किरनापुर, वारा, किन्ही, बोरागांव का केंद्र वाला कैप, खैरलांजी तहसील में खैरलांजी का केंद्र किन्ही मंडी, बेनी, भंडारा, भंडारा -2 का केंद्र भंडारा कैप, आरंभा, आरंभा-2, अतरी, नवेगांव -3 का केंद्र मोहाड़ी कैप, परसवाड़ा तहसील में परसवाड़ा-1, परसवाड़ा-2, भोरावाही, बघोली, परसवाड़ा -3 का केंद्र डोंगरिया कैप, बालाघाट तहसील में लिंगा का केंद्र पूजा वेयर हाउस, कुम्हारी का केंद्र कुम्हारी गोदाम, गोंगलई का केंद्र कृषि मंडी, खुरसोड़ी-1 का केंद्र कृषि साख सहकारी समिति खुरसोड़ी गोदाम, मानेगांव का केंद्र सपना वेयर हाउस मानेगांव, खुरसोड़ी-2 का केंद्र

साईं बाबा वेयर हाउस खुरसोड़ी, लांजी तहसील में कुम्हारीकला, दहेगांव, पालडोंगरी, कुम्हारीखुर्द, साडरा के केंद्र पालडोंगरी कैप, बैहर तहसील में बैहर का केंद्र प्रयास वेयर हाउस बैहर, लालबरा तहसील में चिल्लोद, निलजी, मोहागांव-धोपरा, लेंडेझरी का केंद्र बिरसोला कैप, बड़गांव का केंद्र रुखमणि वेयर हाउस बड़गांव, ददिया का केंद्र रामजी वेयर हाउस लालबरा, कनकी का केंद्र कृषि मंडी कनकी, लालबरा, मिरगांव का केंद्र कृषि मंडी बकोड़ा, मानपुर का केंद्र मार्केटिंग गोदाम लालबरा, नेवरगांव-1, नेवरगांव-2 का केंद्र हर्षित गोदाम वारासिवनी तथा वारासिवनी तहसील में मेंढकी का केंद्र भंडारा कैप, खापा का केंद्र खापा कैप, वारासिवनी-1 का केंद्र जहाजी वेयर हाउस तुमाड़ी, वारासिवनी-2 का केंद्र धार्मिक वेयर हाउस तुमाड़ी, कोचेवाही, का केंद्र बालाघाट फार्म प्रो. कोचेवाही, लड़सड़ा, डोंगरमाली का केंद्र भंडारा कैप एवं जागपुर, कायदी-1, कायदी-2 का केंद्र सिद्धार्थ वेयर हाउस डोंगरिया में बनाया गया है।

समिति स्तर पर कटंगी



तहसील में समतपुरी, सिरपुर, भजियापार, टेकाड़ी-नंदांग, किरनापुर तहसील में चिल्ला, पिपरझरी, माटे, सिवनी, दोगंधा, मोहागांव खुर्द, कान्द्रीकला, सेवती, पिंपलगांव, खैरलांजी तहसील में खरखड़ी, भोरगढ़, फूलचूर, मोवाड़, सावरी, गजपुर, पांजरा, सालेटेका, सालेबडी, मोहागांव घाट, टेकाड़ीघाट, भजियावर्द, कटोरी, ऐनागाँदी, पिंडकेपार, तिरोड़ी तहसील में नार्दी, कटेदरा, धनकोपा, बोथवा, महकेपार, कुड़वा, बम्हनी, हरदोली, परसवाड़ाघाट, परसवाड़ा तहसील में उकवा, चिखलाझोड़ी, कुमादेही, बोदा, मझगांव, डोरा, बालाघाट तहसील में अमेड़ा, भरवेली, जरेरा, लामता, चांगोदोला, समनापुर, मगरदर्रा, चरेगांव, टाकाबरा, घुनाड़ी, गुडरू, मोहागांव (गुडरू), हट्टा, नाहरवानी, बिरसा तहसील में मानेगांव, बीजाटोला, दमोह, रेलवाही, पल्लेरा, मंडई, बिरसा,

पराली जलाने वाले पर होगी सख्त कार्यवाही

जिले में पराली जलाने पर प्रतिबंध: पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त कदम

नवभारत, बालाघाट। पराली जलाने से खेत की मिट्टी में पाये जाने वाले उपयोगी एवं मित्र कौट आदि के नष्ट होने एवं इसके धुएँ के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की संभावना को देखते हुए श्री मृणाल मीना ने जिले में फसल कटाई के बाद पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में जो कोई भी किसान या अन्य व्यक्ति खेतों में पराली जलाते हुए पाया जायेगा उसके विरुद्ध भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-30 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

उप संचालक कृषि श्री फूलसिंह मालवीय ने बताया कि पराली जलाने पर किसानों पर जुर्माना लगाया जायेगा। 102 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों द्वारा पराली जलाये जाने पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा और 02 से 05 एकड़ जमीन वाले किसानों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा और 05 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

उप संचालक कृषि श्री मालवीय ने बताया कि पराली जलाने से वातावरण प्रदूषण होने के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोथेन जैसी हानिकारक गैसों निकलती हैं, जो वायु प्रदूषण को बढ़ाती हैं। पराली जलाने से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती जमीन की

ऊपरी परत जल जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है और लालकरी जीवाणु नष्ट होते हैं। वही स्वास्थ्य जोखिम धुआँ सांस लेने में परेशानी और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। पराली जलाने से पशुओं के भोजन की कमी होती है। पराली को जलाने की बजाय खेत में मिलाने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है, कार्बन और पोषक तत्व बढ़ते हैं, जिससे सिंचाई की बचत होती है। प्रदूषण की रोकथाम होती है और वातावरण स्वच्छ रहता है। उत्पादकता बढ़ती है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है। कानूनी कार्यवाही और जुर्माने से बचने के लिए किसान भाइयों से अपील की गई है कि पराली न जलाएं। इसे खेत में मिलाकर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।

लिक को विलक करते ही खाते से उड़े 1.32 लाख

टारक के नाम पर जाल में फंसा मुनाफे का लालच देकर धोखाधड़ी

जबलपुर। साइबर ठग ने टारक के नाम पर मुनाफे का लालच देकर धोखाधड़ी कर दी। युवक से लिक को क्लिक कराते हुये खाते से 1,32,300 रुपये निकाल लिए। ओमती पुलिस ने बताया कि संस्कार बचवानी 20 वर्ष निवासी लालामाटी द्वारका नगर थाना घमापुर ने लिखित शिकायत की कि वह विकटोरिया अस्पताल रोड तुलाराम चौक में सर्जिकल डायपर पलकाकामथी, गारापुरी, साल्हे, कंजई, जाम, छिंदलई एवं वारासिवनी तहसील में गरी, थानेगांव, सावंगी, सिंगोड़ी, झालीवाड़ा, अंसैरा, दीनी, रमरमा, कोस्ते, बुदबुदा व रामपायली में धान खरीदी केंद्र बनाया गया है।

किसान गर्जना संगठन बालाघाट सभी किसान साथियों से अपील करता है कि 40 किलो 700 ग्राम से 800 ग्राम तक ही धान देना है और किसी भी किसान को वहां पर हमाली नहीं करना है बोरि उलटी पलटी के नाम पर 78 ?10 कट्टी कोई भी किसान वहां पर किसी भी हमाली को भी रुपय ना दे यह सारी व्यवस्था खरीदी प्रभारी को करना है।

रुपये तक का लाभ प्राप्त होगा। ऐसा बहला फुसलाकर उसे व्हाट्सअप पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पेज फालो कराया गया। इसके बाद मुनाफा भी दिया गया। बाद में टारक कराने का लालच देकर बहला फुसलाकर उसके यूनियन बैंक के खाता व इंडियन बैंक के खाता से कुल 1,32,300 रुपये की राशि अलग अलग लिंक के माध्यम ले निकाल ली गई। उसे जाल में फंसाकर धोखाधड़ी की गई। उसने एनसीआरबी पोर्टल में शिकायत दर्ज कराया था। जिससे लगभग 97000 हजार की राशि लीन होने पर न्यायालय से सुपुर्द नाम में वापस की गयी है। शेष करीब 35000 पैतसि हजार रुपये प्राप्त नहीं हुये है। शिकायत पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली गई।

इधर खाते से 50 हजार का अनाधिकृत ट्रांजेक्शन

विजय नगर थाना अंतर्गत कंचन विहार निवासी महिला के खाते से साइबर ठग ने 50 हजार का अनाधिकृत ट्रांजेक्शन किया। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि रूपाली गलबले पति गोविन्द गलबले 35 वर्षीय निवासी कंचन विहार विजयनगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका आईसीआई बैंक शाखा विजयनगर में खाता है। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा खाते से यूपीआई के माध्यम से छह ट्रांजेक्शन कुल 49,998 रुपये के हुए। अनाधिकृत हस्तांतरण किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा खाते से किया गया है।